FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0043 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 14/02/2026 11:56 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 09/02/2026 **Date To (दिनांक तक):** 10/02/2026

Time Period (समय अवधि): पहर 6 **Time From (समय से):** 16:30 बजे **Time To (समय तक):** 16:06 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 14/02/2026 **Time (समय):** 11:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 14/02/2026 11:56:07 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH-EAST, 260 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** GUMANPURA SE GHODE WALA BABA CHAURAHA KA RASTA, GUMANPURA STHIT OVERBRIDGE KE NICHE, BABU TEA STALL KE SAMNE, KOTA

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** SHANU KHAN

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** ABDUL SALIM

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1981 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	FAKIRON KI MASJID KE PICHE, KOTADI, GUMANPURA, KOTA CITY, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	AADARSH NAGAR BANJARA COLONY SENT PAUL SCHOOL KE PASS, KISHORPURA, KOTA CITY, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** 91-9509429335

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	JEETRAM CHOUDHARY		पिता:SITARAM KHATWAL	1. KALYANPURA,DIGGI,TONK,RA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		3,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 3,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय, प्रकरण के हालात इस प्रकार है कि दिनांक 09.02.2026 समय 04.30 पी.एम. पर परिवादी शानु खान पुत्र श्री अब्दुल सलीम जाति मुसलमान उम्र 45 साल निवासी- आदर्श नगर बंजारा कोलोनी सेंट पॉल स्कूल के पास थाना किशोरपुरा हाल फकीरों की मस्जिद के पीछे, कोटडी थाना गुमानपुरा उपस्थित आया और श्री विजय स्वर्णकार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को एक टाइपशुदा प्रार्थना पत्र इस आश्य का पेश किया कि " प्रार्थी कोटडी गुमानपुरा का रहने वाला है। प्रार्थी पूर्व में एच.डी.एफ.सी. बैंक के लिए रिकवरी का कार्य करता था। रिकवरी कार्य बैंक द्वारा बन्द कर दिये जाने सें प्रार्थी वर्तमान में बेरोजगार है। प्रार्थी एक दिन दोस्त मासुम की कबाडे की दुकान, विशाल मार्केट, छावनी, कोटा में बैठा था, उस समय थाना गुमानपुरा का कानिस्टेबल जीतराम दुकान पर आया तथा मुझसें मेरे नाम पते पूछे तथा चला गया, इसके बाद से ही जीतराम मुझसे पैसे मांग रहा हैं तथा कह रहा हैं कि अगर 10,000 रू. नहीं दिये तो मेरे पास कई रास्ते हैं तुम्हे हवालात में डालने के। जीतराम ने दिनांक 07.02.2026 को थाना गुमानपुरा के पास एक होटल के सामने मुझे रोक लिया तथा मेरी तलाशी लेने लगा उस समय मेरे पास मेरी कार को ठीक कराने के मेकेनिक को देने के लिए 70,000 रू. पडे हुये थे, जो उसने जबरदस्ती निकाल लिये मैने उससे हाथा जोडी की तथा विनती की कि ये रू. मैने कार मैकेनिक को नहीं दिये तो वो मुझे कार नहीं देगा, मेरे द्वारा कई बार कहने पर जीतराम ने उनमें सें 5000 रू. निकाल लिये तथा कहा कि चल बाकी के कल दे देना तथा इसके बाद सें ही जीतराम कानि. मुझे बाकी के पैसे लेने के लिए बार-बार वाट्सएप कॉल कर रहा हैं। मैं जीतराम को मुझे धमकाकर डराने के बदले में रिश्वत के 5000 रू. नहीं देना चाहता तथा उसको रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूं, " परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र व मजीद दरयाप्त से मामला रिश्वत मांग का होने एवं भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की परिधि में आना पाया जाने से रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने सें कार्यालय में कार्यरत श्री आशिक हुसैन, सहायक उप निरीक्षक को अपने कक्ष में बुलाकर परिवादी श्री शानु खान से आपसी परिचय करवाया गया तथा कार्यालय के मालखाने से डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के निकलवाया जाकर श्री शानु खान को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को चालु व बंद करने व रिकॉर्ड करने की विधि समझाई गई। परिवादी ने बताया की आज मुझे जीतराम बार-बार मेरे मोबाईल पर व्हाट्स एप कॉल कर रहा है, वो अभी मिल जायेगा। इसके बाद समय 05.30 पी.एम. पर परिवादी श्री शानु खान को मय डिजीटल वॉइस रिकॉर्ड मय मैमोरी कार्ड के वास्ते रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने हेतु मय श्री आशिक हुसैन सहायक उप निरीक्षक के परिवादी की मोटर साईकिल से आरोपी के पास रवाना किया गया। फर्द सुपूर्दगी डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर पृथक से तैयार की जाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 06.30 पी.एम. पर परिवादी श्री शानु खान मय डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड एवं श्री आशिक हुसैन सहायक उप निरीक्षक के कार्यालय हाजा उपस्थित आये परिवादी ने सरकारी डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड बन्द हालात में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को लाकर सुपुर्द कर बताया कि मैं मेरी मोटरसाईकिल से आशिक जी के साथ छावनी में विशाल मार्केट में पहुंचा था, जहां से मैने जीतराम को फोन किया, जिस पर उसने दो मिनट में मेरे पास पहुंचने के लिए कहा। इसके बाद मैने रिकॉर्डर चालु किया दो तीन मिनट में ही जीतराम कबाडी की दुकान के पास आ गया, जिस पर मैने आशिक जी को कुछ दूर उतार कर जीतराम के पास गया। जीतराम से मैने कहा कि अभी पैसे नहीं हैं तो वह बहुत नाराज हो गया तथा जाने लगा जिस पर मैने उसको निवेदन करके रोका, फिर वह कहने लगा कि 1500 रू. तो अभी दे दो बाकी के कल दे देना जिस पर मैने कहा कि अभी तो पन्द्रह सौ भी नहीं हैं तथा 3000 रू. कल दे दूंगा तो उसने कहा कि ठीक हैं। हमारे बीच होने वाली सभी बाते रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हो गई है। श्री आशिक हुसैन सहायक उप निरीक्षक ने परिवादी के कथनों की पुष्टि की। इसके बाद डिजीटल वाईस रिकॉर्डर चलाकर सुना गया तो परिवादी के कथनों की ताईद हुई। डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड को मालखाने में सुरक्षित रखा गया। फर्द प्राप्ति डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर पृथक से मुर्तिव की जाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 06.50 पी.एम. पर परिवादी श्री शानु खान को सुबह 11 बजे मय रिश्वत राशि के कार्यालय हाजा उपस्थित होने एवं गोपनीयता बरतने की हिदायत कर कार्यालय हाजा से सकुशल रूखसत किया गया। दिनांक 10.02.2026 समय 09.30 ए.एम. पर श्री विजय स्वर्णकार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने मन् पुलिस निरीक्षक को अपने कक्ष में बुलाकर परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र मय फर्द प्राप्ति डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर, फर्द प्राप्ति डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर एवं अन्य कागजात सुपूर्द कर अब तक की गई कार्यवाही से अवगत करवाते हुये। मालखाने से डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड अग्रिम कार्यवाही हेतु सुपूर्द किया

गया। समय 10.00 ए.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक मय परिवादी श्री शानु खान के प्रार्थना पत्र मय फर्द सुपुर्दगी डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर, फर्द प्राप्ति डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर एवं अन्य कागजात के अपने कक्ष में आयी। डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड को चला कर सुना तो आरोपी जीतराम द्वारा परिवादी से 3000 रूपये रिश्वत की मांग करने की पुष्टि हुई। इसके बाद समय 11.00 ए.एम. पर परिवादी श्री शानु खान कार्यालय हाजा उपस्थित आया। परिवादी से परिचय प्राप्त कर प्रार्थना पत्र एवं रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता एवं वार्ता की रिकॉर्डिगं के संबंध में पूछताछ की गई। परिवादी ने बताया कि मैं, जीतराम को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 3000 रूपये लेकर आया हूं। ट्रेप कार्यवाही हेतु समय 02.17 पी.एम. पर परिवादी श्री शानू खान के मोबाईल से आरोपी जीतराम कांस्टेबल को मोबाईल फोन पर जर्ये व्हॉट्स एप कॉल करवाया गया । तो आरोपी जीतराम ने परिवादी को मिलने के लिये बुलाया एवं टास्क आने पर सूचना देने व मदद करने पर सहमत हुआ। जिसे परिवादी के मोबाईल का स्पीकर चालु कर वार्ता को डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड मे रिकॉर्ड किया गया। इसके बाद समय 02.20 पी.एम. पर परिवादी श्री शानु खान के बताये अनुसार आज ट्रेप कार्यवाही होना संभावित है, अतः ट्रेप कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाहान को लाने हेतु एक तहरीर कार्यालय पत्रांक 32 दिनांक 10.02.2026 श्रीमान तहसीलदार तहसील लाडपुरा कोटा के नाम जारी कर श्री अब्दुल सत्तार कानि. 158 को गवाह लाने हेतु रवाना किया गया, श्री अब्दुल सत्तार कानि. 158 कार्यालय तहसीलदार तहसील लाडपुरा कोटा से दो कार्मिक 1. श्री मनोज कुमार गोतम पुत्र श्री वल्लभ शर्मा जाति ब्राह्मण उम्र 33 साल निवासी मकान नम्बर 1/449 हाउसिंग बोर्ड कोलोनी सवाईमाधोपुर हाल के. आर 164 सिविल लाईन नयापुरा कोटा हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय तहसीलदार तहसील लाडपुरा कोटा मो. 9530222102 2. श्री नरेन्द्र सिहं कोटिया पुत्र श्री गोपीचन्द कोटिया जाति कोली उम्र 33 साल निवासी मकान नम्बर 571 देवनारायण मन्दिर की गली बापू नगर बालिता रोड कुन्हाडी हाल ए-3 टाईप 4 सीएडी कोलॉनी दादाबाडी कोटा हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय तहसीलदार तहसील लाडपुरा कोटा मो. 9461682021 को हमराह लेकर कार्यालय हाजा उपस्थित आया। गवाहान से परिचय प्राप्त कर गवाहान से ट्रेप कार्यवाही में शामिल होने की सहमति प्राप्त कर की तो दोनो ने मौखिक स्वीकृति प्रदान की। इस पर दोनों स्वतंत्र गवाहान का परिवादी श्री शानु खान से आपस में परिचय करवाया। परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र को दोनो गवाहान को पढवाकर हस्ताक्षर करवाये गये तथा अब तक की गई कार्यवाही से अवगत करवाया गया। समय 03.15 पी.एम. पर दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री मनोज गौतम एवं श्री नरेन्द्र सिंह कोटिया के समक्ष परिवादी श्री शानु खान ने अपने पास से निकालकर भारतीय मुद्रा के 500-500 रूपये के 6 नोट कुल राशि तीन हजार रूपये मन् पुलिस निरीक्षक को पेश किये, जिनके नम्बर निम्न प्रकार है - क्र0स0 नोटों का प्रकार नोटां के नम्बर 1 एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का 6 EE 189548 2 एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का 1 UH 507070 3 एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का 6 FT 986015 4 एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का 8 KU 981709 5 एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का 0 LB 868866 6 एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का 3 FW 097277 कार्यालय के मालखाने से श्री गौरव नागर, कनिष्ठ सहायक के द्वारा फिनॉल्फथीलीन पाउडर की शीशी निकलवाई गई एक अखबार के ऊपर थोडा सा फिनॉल्फ्थीलीन पाउडर डलवाकर उपरोक्त सभी नोटों पर फिनॉल्फ्थीलीन पाउडर भलीभांती लगवाया गया। गवाह श्री मनोज कुमार सें परिवादी श्री शानु खान की जामा तलाशी लिवाई जाकर उसके पास पहने हुये कपडों में मोबाईल के अलावा अन्य कोई वस्तू इत्यादि नहीं रहने दी गई। उक्त फिनॉल्फ्थीलीन पाउडर लगे नोटों को श्री गौरव नागर, कनिष्ठ सहायक से परिवादी की पहनी हुई पेंट की दायीं जेब में रखवाई गई। एक डिस्पोजल प्लास्टिक गिलास में साफ पानी मंगवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा इस घोल में श्री गौरव नागर, कनिष्ठ सहायक के फिनॉल्फ्थीलीन पाउडर युक्त दाहिने हाथ की अगुंलियों को धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया इस प्रकार फिनॉल्फ्थीलीन व सोडियम कार्बोनेट के आपसी मिश्रण की प्रतिक्रिया को दृष्टांत देकर संबंधितों को समझाया गया। श्री शानु खान को हिदायत की गई की आरोपी व्यक्ति सें हाथ नहीं मिलावे और ना ही पाउडर लगे हुये नोटों को रास्ते में अनावश्यक रूप सें हाथ लगाये। आरोपी व्यक्ति के मांगने पर ही उक्त पाउडर लगे नोटों को अपनी पेंट की जेब में से निकालकर उसे देवें तथा उसके द्वारा रिश्वत ग्रहण करने के पश्चात ट्रेप कार्यवाही के सदस्यों की ओर अपने सिर पर हाथ फेरकर अथवा मोबाईल पर मिसकॉल करके इशारा करें। इसके बाद गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिकवाया गया। फिनॉल्फ्थीलीन पाउडर की शीशी श्री गौरव नागर, कनिष्ठ सहायक को देकर वापस भ.नि.ब्यूरो, कोटा के लिए रवाना किया। कार्यवाही में काम आने वाली कांच की शीशीयों मय ढक्कन को अच्छी तरह साबुन सें धुलवाकर साफ करवाया गया व प्लास्टिक के नये डिस्पोजल गिलास लिये गये। ट्रेप पार्टी के सदस्यों के हाथ साबुन व पानी सें अच्छी तरह धुलवाये गये। दोनों गवाहान को हिदायत दी गई की परिवादी के आस-पास नजदीक रहकर श्री शानु खान एवं आरोपी के मध्य होने वाले रिश्वत के लेनदेन को देखने व वार्ता को सुनने का प्रयास करें। इसके पश्चात सरकारी डिजीटल वॉयस रिकार्डर में नया मेमौरी लगाकर परिवादी को उसें चलाने की विधि पुनः समझाई गई तथा डिजीटल वॉयस रिकार्डर परिवादी के गले में धागे सें लटकाया गया तथा हिदायत दी गई की आरोपी से होने वाली वार्ता को वॉयस रिकॉर्डर के कार्ड में रिकॉर्ड करें। फर्द पेशकशी नियमानुसार मुर्तिब की जाकर गवाहान् व परिवादी को पढ़कर सुनाई, सुन समझ सही मान सम्बन्धितों ने अपने-अपने हस्ताक्षर किये। फर्द शामिल

पत्रावली की गई। फिर समय 03.25 पी.एम. पर परिवादी श्री शानु खान को उसकी मोटर साईकिल से आगे आगे रवाना कर मन् पुलिस निरीक्षक मय श्री अनिष अहमद उप पुलिस अधीक्षक मय हमराह जाप्ता श्री आशिक हुसैन सहायक उप निरीक्षक, श्री नरेन्द्र सिंह हैड कानि. 140, श्री बृजराज सिंह हैड कानि. 144, श्री जितेन्द्र सिंह हैड कानि. 132, श्री मनोज कुमार कानि. 211, श्री योगेश कुमार कानि. 291, श्री रवि कुमार कानि. 285, श्री योगेन्द्र कानि. 282 एवं स्वतंत्र गवाहान श्री मनोज कुमार गौतम व श्री नरेन्द्र सिंह कोटिया मय ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाले उपकरणों व सरकारी लेपटोप मय प्रिंन्टर, ट्रेप बॉक्स, सरकारी मोबाईल, सत्यापन के मूल मैमोरी कार्ड के बाबू टी स्टॉल, रावतभाटा रोड गुमानपुरा के लिये प्राईवेट वाहन कार एवं मोटर साईकिलों से रवाना हुई, जो समय 03.50 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक मय जाप्ता मय स्वतंत्र गवाहान के परिवादी के पीछे-पीछे बाबू टी स्टॉल, रावतभाटा रोड, गुमानपुरा पुलिया के नीचे पहुंची, जहां परिवादी ने बताया की आरोपी जीतराम कुछ समय में यही पर आने वाला है इसलिए मन पु0नि0 मय हमराही जाप्ता एवं स्वतंत्र गवाहन अपनी उपस्थति छुपाते हुए परिवादी के आस पास आरोपी के आने की प्रतिक्षा मे मुकीम हुई, थोडी देर बाद एक व्यक्ति मोटरसाईकील से परिवादी के पास आया तथा परिवादी से बात करने लगा थोडी देर बाद परिवादी श्री शानु खान ने आरोपी द्वारा रिश्वत राशि प्राप्ति का मन पुलिस निरीक्षक, चन्द्रकवंर को अपने सिर पर हाथ फेरकर पूर्व निर्धारित ईशारा किया, इस पर मन पुलिस निरीक्षक, दोनो स्वतंत्र गवाह श्री मनोज कुमार गौतम व श्री नरेन्द्र सिंह कोटिया, ट्रेप पार्टी के सदस्यों, श्री अनिष अहमद उप पुलिस अधीक्षक श्री आशिक हुसैन, स.उ.नि. श्री नरेन्द्र सिंह हैड कानि. 140, श्री बृजराज सिंह हैड कानि. 144, श्री जितेन्द्र सिंह है.कानि. 132, श्री मनोज कुमार कानि. 211, श्री योगेश कुमार, कानि. 291, श्री रवि यादव कानि. 285, श्री योगेन्द्र सिंह कानि. 282 के परिवादी के पास पहुंचे, परिवादी द्वारा उसके पास मोटरसाईकिल नं. RJ 26 SE 6103 Gladiator, Yamaha पर बैठे हुये व्यक्ति की ओर इशारा किया, जिस पर मोटरसाईकिल पर बैठे हुये व्यक्ति को डिटेन किया तथा परिवादी से डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड प्राप्त कर बन्द किया। मोटरसाईकिल पर बैठे हुये व्यक्ति को मन पुलिस निरीक्षक ने अपना व हमराहियान का परिचय देते हुये आने का मन्तव्य बताया, जिस पर वह अपनी मोटरसाईकिल को पीछे निकालने लगा, जिस पर उसको जाब्ते की मदद से पकडा, इसी दौरान मेनरोड होने सें वंहा काफी भीडभाड हो गई तथा आसपास के व्यक्ति विडियो आदि बनाने लग गये, जिस पर उसको उसकी मोटरसाईकिल से उतारकर मन पुलिस निरीक्षक मय जाब्ता श्री योगेश कुमार कानि. 291 व श्री रवि यादव कानि. 285 के प्राईवेट वाहन में बैठाया तथा जाब्ता व परिवादी को आरोपी की मोटरसाईकिल सहित चौकी हाजा पर आने के निर्देष देकर चौकी हाजा के लिए रवाना होकर चौकी हाजा पर समय 459 पी.एम. पर पहुंचे जंहा पर श्री योगेश कानि. से सरकारी मोबाईल पर विडियो रिकॉर्डिंग चालु करवाई गई तथा आरोपी को प्राइवेट कार से उतारकर चौकी हाजा के कक्ष में बैठाया गया तथा अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की गई, आरोपी से मन पुलिस निरीक्षक ने पूरा नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम- जीतराम चौधरी पुत्र श्री सीताराम खाठवाल जाति जाट उम्र 37 साल निवासी- ग्राम कल्याणपुरा, थाना डिग्गी, जिला टोंक हाल निवासी- सरकारी आवास, बी-1, थाना परिसर नयापुरा, कोटा, हाल कानि. नं. 1525 थाना गुमानपुरा, कोटा शहर बताया । तत्पश्चात मन पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाहान व जाब्ता का परिचय दिया तथा जीतराम से परिवादी से रिश्वत के रूप में लिये गये 3000 रू. बाबत पूछा तो जीतराम ने कहा कि ये सब मुझे फंसाने की साजिश हैं ये हमारे थाने का एचएस हैं तथा बीमारी का बहाना बनाकर इसने मुझसे पांच हजार रू. उधार लिये थे जिसमें दो हजार रू. इसने पहले दे दिये थे तथा तीन हजार रू. आज देने के लिए बुलाया था, इस पर परिवादी ने आरोपी की बात का खण्डन करते हुये बताया कि ये झूंठ बोल रहा हैं परसों ही इसने पुलिस की धोंस दिखाते हुये मेरी जेब से पांच हजार रू. जबरदस्ती ले लिये तथा तीन हजार रू. ओर लेने के लिए मुझे बार-बार फोन कर रहा था। परिवादी के कहेनुसार आरोपी ने रिश्वती राशि अपने हाथ से लेकर गिनकर अपनी पहनी हुई शर्ट की जेब में रखे हैं, अतः आरोपी की हाथ धुलाई की कार्यवाही प्रारम्भ की गई, एक डिस्पोजल गिलास में सोडियम कार्बोनेट पावडर व पीने के पानी की बोतल से पानी डलवाया जाकर, गिलास में घोल तैयार करवाया गया तथा हाजरीन को दिखाया तो सभी ने घोल के रंग को रंगहीन होना बताया। आरोपी जीतराम चौधरी के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अंगुठे को गिलास के घोल में धुलवाया गया, तो धोवन का रंग गुलाबी आया जिन्हे दो कांच की शीशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सील चिट कर मार्क RH-1, RH-2 अंकित किया। इसके पश्चात एक नया डिस्पोजल गिलास लिया गया तथा गिलास में सोडियम कार्बोनेट पावडर डलवाया जाकर उसमें पीने के पानी की बोतल से पानी डलवाकर हाजरीन को दिखाया तो सभी ने घोल के रंग को रंगहीन होना बताया तत्पश्चात बायें हाथ की अंगुलियों व अंगुठे को घोल में धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी आया जिन्हे दो कांच की शीशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सील चिट कर मार्क LH-1, LH-2 अंकित किया। आरोपी से परिवादी से पूर्व में लिये गये पांच हजार रूपयों बाबत पूछा गया तो आरोपी ने कहा कि मैने इससे कोई रूपये नहीं लिये, जिस पर परिवादी ने कहा कि इन्होने मुझसे जबरदस्ती करके तीन दिन पहले पांच हजार रू. ले लिये थे तथा 3000 रू. ओर देने के लिए कहा था जिसके लिए ये मुझे बार-बार फोन कर रहे थे, ये 3000 रू. वो ही हैं। तत्पश्चात श्री जीतराम की तलाशी स्वतंत्र गवाहान श्री मनोज कुमार गौतम से लिवाई गई तो उसके पहने हुये कपडों में शर्ट की जेब में पांच पांच सौ रूपये के छ नोट कुल तीन हजार रू, दो यात्रा भत्ता बिल जीतराम कानि. के, पेंट की जेब में रखे हुये सात नोट (एक पांच सौ, दो दौ सौ, चार दस रू.) कुल नौ सौ चालिस रू., जीतराम की बेल्ट पर एक

वायरलेस हेण्डसेट आईकोम कम्पनी का बरंग काला तथा एक मोबाईल 1, Modal CPH2423 IMEI 1866775060485596, IMEI 2866775060485588 मिला। स्वतंत्र गवाह से जीतराम चौधरी की शर्ट की जेब में मिले पांच-पांच सौ रू. के छः नोट कुल तीन हजार रू. के नोटों के नम्बरों का मिलान कार्यालय में बनी फर्द पेशकशी व दृष्टान्त में अंकित नम्बरों सें करवाया गया तो हूबहू मिलान हुआ। नोटों को बतौर वजह सबूत जब्त कर कब्जे एसीबी लिया तथा नोटों को कागज के एक पीले लिफाफे में रखकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे एसीबी लिया गया, आरोपी की तलाशी में मिले सरकारी वायरलैस हेण्ड सेट को पृथक से सुरक्षित रखवाया गया तथा आरोपी के पास मिले मोबाईल वन प्लस से परिवादी से रिश्वत के संबंध में मिलने आदि के लिए वाट्सएप कॉल किये गये हैं तथा लेनदेन के समय उसने परिवादी का मोबाईल लेकर उसमें से परिवादी को किये गये वाट्सएप कॉल किये गये को डिलिट किया गया हैं, अतः परिवादी एवं आरोपी जीतराम के मोबाईल सें वाट्सएप कॉल की स्क्रीन शॉट लेकर उसके प्रिन्टआउट पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर तथा आरोपी के मोबाईल 1, Modal CPH2423 IMEI 1866775060485596, SIM No. 9928559725 IMEI 2866775060485588 SIM NO. 8000773669 को भी वजह सबूत जब्त कर अनुसंधान हेतु अनशील्ड कब्जा एसीबी लिया गया। आरोपी के पास मिले नौ सौ चालिस रू. आरोपी ने अपनी खर्चे के बताये हैं तथा उसके पास मिले टी.ए. के बिल उक्त कार्यवाही में वांछित नहीं होने सें आरोपी के पास मिले नौ सौ रू. व टी.ए. बिल को आरोपी के परिजनों को पृथक सें लौटाये जायेंगे। रिश्वती राशि आरोपी जीतराम की शर्ट की जेब से मिलने के कारण आरोपी की शर्ट की जेब धोवन लिया जाना आवश्यक हैं, अतः शर्ट की धोवन लिये जाने हेतु आरोपी सें शर्ट उतरवाई गई तथा उसको पहनने के लिए एक जैकेट लाकर दिया तत्पश्चात शर्ट की जेब का धोवन लिये जाने हेतु एक नये डिस्पोजल गिलास में सोडियम कार्बोनेट पावडर व पानी डलवाया जाकर घोल तैयार करवाया गया तथा हाजरीन को दिखाया तो सभी ने घोल के रंग को रंगहीन होना बताया तत्पश्चात शर्ट की जेब को उलटवाकर जेब को गिलास के घोल में धुलवाया गया, तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी आया जिन्हे दो कांच की शीशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सील चिट कर मार्क S-1, S -2 अंकित किया। काम मे लिये गये डिस्पोजल गिलासों को जलवाया जाकर नष्ट करवाया गया। उपरोक्त शर्ट की जेब को सुखाकर जेब पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये तथा शर्ट को कपडे की थैली में रखकर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर थैली पर मार्क- S अंकित कर सील्ड चिट कर कब्जा एसीबी लिया गया। श्री योगेश कुमार कानि. से मोबाईल से की जा रही कार्यवाही की रिकॉर्डिंग को बन्द करवाया गया तथा मोबाईल सें मेमोरी कार्ड निकलवाकर सुरक्षित रखा गया। आरोपी के आवास की खानातलाशी बाबत उच्चाधिकारियों को अवगत कराया गया। परिवादी से प्राप्त किये गये डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में लगे हुये मेमोरी कार्ड को लेपटोप से कनेक्ट कर वक्त लेनदेन हुई रिकॉर्ड वार्ता को सुना गया तो वार्ता में परिवादी से आरोपी द्वारा कहा गया कि तेरे मोबाईल से मेरे कॉल डिलीट कर दे इस पर परिवादी ने आरोपी को मोबाईल दे दिया तथा कहा कि मुझे नहीं आता तुम ही डिलीट कर दो इस पर आरोपी द्वारा परिवादी का मोबाईल लेकर कॉल डिलीट किये गये तथा परिवादी द्वारा रिश्वती राशि के लिए 2000 रू. देने के लिए कहा तो आरोपी ने कहा कि नहीं नहीं पूरे 3000 रू. देने पडेंगे तथा परिवादी द्वारा यह कहने पर कि कोई टास्क आ जाये तो समय से बता दिया करो जिस पर सहमत होने की पुष्टि हुई है। रिकॉर्ड वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट पृथक से बनाकर शामिल फाईल की जावेगी। उपरोक्त सम्पूर्ण कार्यवाही से पाया गया हैं कि परिवादी के प्रार्थना पत्र अनुसार- परिवादी को पुलिस की धोंस दिखाकर जीतराम चौधरी कानि. ने दिनांक 07.02.2026 को थाना गुमानपुरा के पास एक होटल के सामने रोका, उसके द्वारा परिवादी की तलाशी लेकर परिवादी के पास कार को ठीक कराने के मेकेनिक को देने के लिए 70,000 रू. पडे होने पर जबरदस्ती निकाल लिये तथा परिवादी द्वारा हाथा जोडी करने तथा विनती करने पर कि ये रू. उसने कार मैकेनिक को नहीं दिये तो वो परिवादी को कार नहीं देगा, परिवादी द्वारा कई बार कहने पर जीतराम ने उनमें सें 5000 रू. निकाल लिये तथा पांच हजार रू. बाद में देने के लिए कहा जिस पर परिवादी ने 3000 रू. ओर देने के लिए कहा जिसके बाद सें ही जीतराम कानि. ने परिवादी को बाकी के पैसे लेने के लिए बार-बार वाट्सएप कॉल किये तथा परिवादी द्वारा एसीबी में शिकायत करने पर दिनांक 09.02.2026 को सत्यापन के दौरान परिवादी से तीन हजार की मांग की तथा परिवादी द्वारा दूसरे दिन दिनांक 10.02.2026 रिश्वती राशि देने के लिए कहा जिस पर जीतराम सहमत हुआ तथा दिनांक 10.02.2026 को रिश्वती राशि लेने के लिए पुनः कॉल किये गये जिस पर परिवादी द्वारा कॉल कर वार्ता को रिकॉर्ड किया गया तो उसमे आरोपी जीतराम द्वारा परिवादी को मिलने के लिए बुलाया तथा टास्क आने पर परिवादी को सूचना देने व मदद करने की कहने पर सहमत हुआ। इस प्रकार आरोपी जीतराम द्वारा परिवादी को डराकर रिश्वती राशि लेने, थाने पर अपराधियों के विरूद्ध कोई टास्क आने पर सूचना देने व परिवादी की मदद करने की एवज में दौराने लेनदेन जीतराम चौधरी द्वारा रिश्वती राशि गिनकर लेने, आरोपी जीतराम चौधरी के दोनों हाथों के धोवन का रंग गुलाबी एवं हल्का गुलाबी आने, आरोपी की शर्ट की जेब सें रिश्वती राशि बरामद होने तथा शर्ट की जेब के धोवन का रंग हल्का गुलाबी आने से आरोपी श्री जीतराम चौधरी पुत्र श्री सीताराम खाठवाल जाति जाट उम्र 37 साल निवासी- ग्राम कल्याणपुरा, थाना डिग्गी, जिला टोंक हाल निवासी- सरकारी आवास, बी-1, थाना परिसर नयापुरा, कोटा, हाल कानि. नं. 1525 थाना गुमानपुरा, कोटा शहर का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया जाने से दण्डनीय अपराध है। डिटेनशुदा

आरोपी श्री जीतराम चौधरी को पृथक से जर्ये फर्द पृथक से गिरफ्तार किया जावेगा। तत्पश्चात् समय 06.00 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक को परिवादी श्री शानु खान ने बताया कि दिनांक 07.02.2026 को जीतराम ने जबरदस्ती करके मेरी पेन्ट की जेब से 70,000 रूपये निकाले है तथा उसमें से 5000 रूपये रख लिये, जो मेरे दोस्त असलम चिन्टू के घर के सामने की घटना है। ये घटना असलम चिन्टू के घर पर लगे कैमरे में रिकॉर्ड हुई होगी। अतः परिवादी की वार्ता के सत्यापन के क्रम में उपरोक्त कैमरे की रिकॉर्डिगं प्राप्त करने हेतु उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार परिवादी को श्री पृथ्वीराज सीआई एवं भूपेन्द्र कानि. एसयू कोटा के हमराह असलम चिन्टू के घर रवाना किया गया, जो समय 07.00 पी.एम.पर श्री पृथ्वीराज पुलिस निरीक्षक एवं श्री भूपेन्द्र कानिस्टेबल मय परिवादी के कार्यालय हाजा उपस्थित आये। परिवादी ने बताया कि मेरे दोस्त के घर के कैमरे खराब हो रहे है, जिनकी मुझे जानकारी नहीं थी, आज हम वहां गये जब पता चला की कैमरे खराब है। अतः दिनांक 07.02.2026 की घटना की रिकॉर्डिगं नहीं मिल सकी। श्री पृथ्वीराज पुलिस निरीक्षक एवं श्री भूपेन्द्र सिंह कानि को कार्यालय हाजा से जायद तैनाती रूखसत किया गया। समय 08.00 पी.एम. पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष आरोपी श्री जीतराम कानि 1525 व परिवादी श्री शानू खान के मध्य दिनांक 09.02.2026 को वक्त रिश्वत मांग सत्यापन हुई वार्ता तथा दिनांक 10.02.2026 को हुई मोबाईल वाट्सएप वार्ता एवं वक्त रिश्वत लेनदेन हुई वार्ता जिसे डिजिटल वाईस रिकोर्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकोर्ड किया गया था रिकॉर्ड आवाज मिलान का परिक्षण एफ.एस.एल. जयपुर से करवाने हेतु आवाज का नमुना देने हेतु आरोपी जीतराम कानि 1525 को नोटिस दिया गया तो आरोपी ने उसको पढकर उस पर अपने स्वयं के हस्तलेख से लिखकर दिया कि “मैं स्वेच्छा से अपनी आवाज का नमूना नही देना चाहता हूं”। नोटिस नमुना आवाज पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात् समय 08.10 पी.एम. पर परिवादी श्री शानु खान एवं आरोपी श्री जीतराम कांस्टेबल के मध्य दिनांक 09.02.2026 को वक्त रिश्वत मांग सत्यापन हुई वार्ता को परिवादी द्वारा डिजीटल वॉइस रिकॉडर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया था, डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड को श्री आशिक हुसैन, सहायक उप निरीक्षक द्वारा सरकारी लेपटॉप मे लगवाया जाकर रिकॉर्डेड वार्ता को लेपटॉप का स्पीकर चालू कर परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान को सुनाया गया। उक्त रिकॉर्डेड वार्ता में परिवादी ने एक आवाज स्वयं की एवं दूसरी आवाज आरोपी जीतराम की होना पहचान कर बताया। उक्त वार्ता की मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशन में श्री आशिक हुसैन सहायक उप निरीक्षक द्वारा फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता नियमानुसार तैयार करवाई जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 09.20 पी.एम. पर परिवादी श्री शानु खान एवं आरोपी श्री जीतराम कांस्टेबल के मध्य दिनांक 10.02.2026 को हुई वाट्सएप कॉल मोबाईल वार्ता को डिजीटल वॉइस रिकॉडर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया था, डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड को श्री आशिक हुसैन सहायक उप निरीक्षक द्वारा सरकारी लेपटॉप मे लगवाया जाकर रिकॉर्डेड वार्ता को लेपटॉप का स्पीकर चालू कर परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान को सुनाया गया। उक्त रिकॉर्डेड वार्ता में परिवादी ने एक आवाज स्वयं की एवं दूसरी आवाज आरोपी जीतराम की होना पहचान कर बताया। उक्त वार्ता की मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशन में श्री आशिक हुसैन सहायक उप निरीक्षक द्वारा फर्द ट्रांसक्रिप्ट वाट्सएप वॉयस कॉल वार्ता नियमानुसार तैयार करवाई जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 09.40 पी.एम. पर श्री शानु खान एवं आरोपी श्री जीतराम कांस्टेबल के मध्य दिनांक 10.02.2026 को हुई वक्त रिश्वत लेन देन हुई वार्ता को डिजीटल वॉइस रिकॉडर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया था, डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड को श्री आशिक हुसैन सहायक उप निरीक्षक द्वारा सरकारी लेपटॉप मे लगवाया जाकर रिकॉर्डेड वार्ता को लेपटॉप का स्पीकर चालू कर परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान को सुनाया गया। उक्त रिकॉर्डेड वार्ता में परिवादी ने एक आवाज स्वयं की एवं दूसरी आवाज आरोपी जीतराम की होना पहचान कर बताया। उक्त वार्ता की मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशन में श्री आशिक हुसैन सहायक उप निरीक्षक द्वारा फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत लेन देन वार्ता नियमानुसार तैयार करवाई जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात् समय 10.30 पी.एम. पर मन चन्द्रकवॅर पु0नि0 मय जाप्ता श्री जितेन्द्र सिंह हैड कानि 132, श्री योगेन्द्र सिहं कानि 282, दोनो स्वतंत्र गवाहन श्री मनोज गोतम व श्री नरेन्द्र सिहं कोटीया एवं परिवादी श्री शानु खान के घटनास्थल का निरीक्षण नक्शा मौका तैयार करने हेतु सरकारी जीप नम्बर आरजे 14 यूए 812 के घटनास्थल बाबू टी स्टॉल के सामने रावतभाटा रोड गुमानपुरा कोटा रवाना हुई । समय 11.00 पी. एम. पर मन् चन्द्रकवॅर पु0नि0 मय उपरोक्त हमराहीयान के बाद परिवादी की निशादेही से घटनास्थल का निरीक्षण नक्शा मौका तैयार कर मय सरकारी जीप नम्बर आरजे 14 यूए 0812 के कार्यालय हाजा पर उपस्थित आई। इसके बाद समय 11.10 पी.एम. पर आरोपी श्री जीतराम चौधरी पुत्र श्री सीताराम खाठवाल जाति जाट उम्र 37 साल निवासी- ग्राम कल्याणपुरा, थाना डिग्गी, जिला टोंक हाल निवासी- सरकारी आवास, बी-1, थाना परिसर नयापुरा, कोटा, हाल कानि. नं. 1525 थाना गुमानपुरा, कोटा शहर का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया जाने से आरोपी को गिरफ्तारी के कारणों एवं संवैधानिक अधिकारों से अवगत कराते हुए नियमानुसार गिरफ्तार कर हिरासत में लिया। फर्द गिरफ्तारी नियमानुसार तैयार की जाकर संबंधितों को पढ़कर सुनाई, सुन समझ सही मानकर हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद समय 11.30 पी.एम. पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष, दिनांक 09.02.2026 को परिवादी श्री शानु खान व आरोपी श्री जीतराम चौधरी कानिस्टेबल 1525

थाना गुमानपुरा कोटा शहर के मध्य हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता की फाईल 260209_1814 जो 10,759 KB तथा दिनांक 10.02.2026 को हुई मोबाईल पर हुई व्हाटसएप कॉल वार्ता की रिकार्ड फाईल 260210_1417 जो 1,836 KB. जो प्रथम मैमौरी कार्ड Sandisk 32 GB micro SDHC-1 में रिकार्ड की गई हैं तथा दिनांक 10.02.2026 को हुई रिश्वत लेन देन वार्ता की फाईल 260210_1554 जो 17,097 KB की है जो द्वितीय मैमौरी कार्ड Sandisk 32 GB micro SDHC-1 में रिकार्ड की गई हैं। उक्त वार्ताओं की 3 फाईलों की हेश वेल्यू निकालकर उसके प्रिन्ट आउट पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल फाईल की गई तथा श्री योगेश कानि0 291 के द्वारा उपरोक्त दोनों मैमोरी कार्ड से तीनो रिकॉर्डिंग की फाईलों को लेपटोप में लिवाया जाकर कॉपी पेस्ट कर Sandisk cruzer blade 32 GB के चार पेन ड्राईव में लेकर पेन ड्राईव तैयार करवाये गये, जिसमे से एक पेनड्राईव माननीय न्यायालय के लिये, एक पेनड्राईव नमूना आवाज के लिये व एक पेनड्राईव आरोपी के लिये पृथक-पृथक कपडे की थैली मे रखकर सील्ड मोहर की गई तथा डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में लगे हुए रिश्वत मांग सत्यापन व व्हाटसएप कॉल वार्ता एवं रिश्वत लेनदेन वार्ता के दोनों मूल मेमोरी कार्ड उनके कवर में रखकर, मेमोरी कार्ड को कवर सहित कपडे की थैलियों में रखा जाकर पृथक-पृथक सील्ड मोहर कर सभी सील्ड मोहर थैलियों पर संबन्धितों के हस्ताक्षर करवाये तथा एक पेनड्राईव अनुसंधान अधिकारी के लिये लिफाफे मे अनसील्ड रखकर शामिल पत्रावली किया गया, तत्पश्चात दिनांक 10.02.2026 को वक्त रिश्वत बरामदगी के श्री योगेश कानि 291 से सरकारी मोबाईल में लगे हुये मेमोरी कार्ड KDM 32 जीबी में बरामदगी की विडियो रिकॉर्डिंग करवाई गई थी, उपरोक्त विडियो रिकॉर्डिंग की मेमोरी कार्ड में दो फाईल 20260210_162105 जो 41,94,028 KB 20260210_165941 जो 17,08,936 KB की हैं। उपरोक्त दोनो फाईल को मेमोरी कार्ड सें कॉपी कर लेपटोप से उक्त दोनो विडियो रिकॉर्डिंग के Sandisk cruzer blade 32 GB कंपनी के दो पेन ड्राईव तैयार करवाये गये, जिसमे से एक पेन ड्राईव माननीय न्यायालय के लिये, एक कपडे की थैली मे रखकर सील्ड मोहर की गई तथा एक पेन ड्राईव अनुसंधान अधिकारी के लिए लिफाफे मे रखकर शामिल फाईल किया गया तथा मूल मेमोरी कार्ड KDM 32 GB में रिकॉर्ड फाईल की हेश वेल्यू निकालकर उसके प्रिन्ट आउट पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल फाईल की गई मेमोरी कार्ड को कवर सहित कपडे की थैली में रखाकर सील्ड मोहर कर थैली पर संबन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 01.50 ए.एम. पर परिवादी श्री शानू खान स्वतंत्र गवाहान श्री नरेन्द्र सिहं कोटिया, श्री मनोज कुमार गौतम को अपने गंतव्य स्थान के लिए रूखसत किया गया। ट्रेप कार्यवाही में जब्तशुदा आर्टिकल्स धोवन की शील्डशुदा 6 शीशीयां, शील्डशुदा 6 पेन ड्राईव, बरामदशुदा रिश्वती 3000 राशि मय लिफाफा, एक मोबाईल अनशील्ड, शर्ट का शील्डशुदा पैकिट, तीन मूल मैमोरी कार्ड को मालखाना प्रभारी श्री आशिक हुसैन सहायक उप निरीक्षक को सुपूर्द कर जमा मालखाना करवाया गया। उपरोक्त सम्पूर्ण कार्यवाही से पाया गया हैं कि परिवादी के प्रार्थना पत्र अनुसार- परिवादी को पुलिस की धोंस दिखाकर जीतराम चौधरी कानि. ने दिनांक 07.02.2026 को थाना गुमानपुरा के पास एक होटल के सामने रोका, उसके द्वारा परिवादी की तलाशी लेकर परिवादी के पास कार को ठीक कराने के मेकेनिक को देने के लिए 70,000 रू. पडे होने पर जबरदस्ती निकाल लिये तथा परिवादी द्वारा हाथा जोडी करने तथा विनती करने पर कि ये रू. उसने कार मैकेनिक को नहीं दिये तो वो परिवादी को कार नहीं देगा, परिवादी द्वारा कई बार कहने पर जीतराम ने उनमें सें 5000 रू. निकाल लिये तथा पांच हजार रू. बाद में देने के लिए कहा जिस पर परिवादी ने 3000 रू. ओर देने के लिए कहा जिसके बाद सें ही जीतराम कानि. ने परिवादी को बाकी के पैसे लेने के लिए बार-बार वाट्सएप कॉल किये तथा परिवादी द्वारा एसीबी में शिकायत करने पर दिनांक 09.02.2026 को सत्यापन के दौरान परिवादी से तीन हजार की मांग की तथा परिवादी द्वारा दूसरे दिन दिनांक 10.02.2026 रिश्वती राशि देने के लिए कहा जिस पर जीतराम सहमत हुआ तथा दिनांक 10.02.2026 को रिश्वती राशि लेने के लिए पुनः कॉल किये गये जिस पर परिवादी द्वारा कॉल कर वार्ता को रिकॉर्ड किया गया तो उसमे आरोपी जीतराम द्वारा परिवादी को मिलने के लिए बुलाया तथा टास्क आने पर परिवादी को सूचना देने व मदद करने की कहने पर सहमत हुआ। इस प्रकार आरोपी जीतराम द्वारा परिवादी को डराकर रिश्वती राशि लेने, थाने पर अपराधियों के विरूद्ध कोई टास्क आने पर सूचना देने व परिवादी की मदद करने की एवज में दौराने लेनदेन जीतराम चौधरी द्वारा रिश्वती राशि गिनकर लेने, आरोपी जीतराम चौधरी के दोनों हाथों के धोवन का रंग गुलाबी एवं हल्का गुलाबी आने, आरोपी की शर्ट की जेब सें रिश्वती राशि बरामद होने तथा शर्ट की जेब के धोवन का रंग हल्का गुलाबी आने से आरोपी श्री जीतराम चौधरी हाल कानि. नं. 1525 थाना गुमानपुरा, कोटा शहर का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाने से जर्य फर्द गिरफतारी गिरफतार किया गया। अतः आरोपी श्री जीतराम चौधरी पुत्र श्री सीताराम खाठवाल जाति जाट उम्र 37 साल निवासी- ग्राम कल्याणपुरा, थाना डिग्गी, जिला टोंक हाल निवासी- सरकारी आवास, बी-1, थाना परिसर नयापुरा, कोटा, हाल कानि. नं. 1525 थाना गुमानपुरा, कोटा शहर का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान महानिदेशक महोदय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर को वास्ते क्रमांकन हेतु सादर प्रेषित है। (चन्द्र कंवर) पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, इन्टे. कोटा.....कार्यवाही पुलिस.....प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमती चन्द्र कंवर, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, इन्टे-कोटा ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण

अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री जीतराम चौधरी पुत्र श्री सीताराम खाठवाल जाति जाट उम्र 37 साल निवासी- ग्राम कल्याणपुरा, थाना डिग्गी, जिला टोंक हाल निवासी- सरकारी आवास, बी-1, थाना परिसर नयापुरा, कोटा, हाल कानि. नं. 1525 थाना गुमानपुरा, कोटा शहर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्रीमती अनिता वर्मा, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा एस.यू., कोटा को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 227 पर अंकित है। (पुष्पेन्द्र सिंह राठोड) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राजस्थान, जयपुर । क्रमांक 338-41 दिनांक 14.02.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा 2- पुलिस अधीक्षक, जिला कोटा शहर 3- उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रेंज कोटा 4- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, इन्टे-कोटा । पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** ANITA VERMA **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pushpendra Singh Rathore
Location: Rajasthan,IN
Date: 14/02/2026 13:10:00

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Pushpendra Singh Rathore

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1989				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)